सं0-125/2015/7538/62-2-2015-2/3(35)/2013

प्रेषक,

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 30 सितम्बर,2015

विषय- लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान भवन के घ्वस्तीकरण योग्य भाग हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0-जी-187/ल0सिं0/बजट-बी0के0टी0/ 2013-14, दिनांक 29 जुलाई,2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान के घ्वस्तीकरण योग्य भवनों यथा पुराना छात्रावास एवं टाईप-1 के 22 आवास, टाईप-2 के 19 आवास, टाईप-4 के 04 आवास एवं टाईप-5 के 02 आवासों के घ्वस्तीकरण के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

3- घ्वस्तीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली धनराशि को राजकीय कोष में जमा किया जायेगा।

कृपया प्रश्नगत भवन के घ्वस्तीकरण के संबंध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राम किंकर मिश्र)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in